FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0088 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 01/04/2026 14:48 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** शुक्रवार **Date From (दिनांक से):** 28/11/2025 **Date To (दिनांक तक):** 28/11/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:10 बजे **Time To (समय तक):** 16:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 01/04/2026 **Time (समय):** 13:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 01/04/2026 14:48:16 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 100 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** KARAYALAY PARADHIKARAT ADHIKARAI AVM SAHAYAK VAN SANRAKSHK, ALWAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MUBEEN

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** HURMAT

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1986 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	TAPKANIYA KI DHANI, NIVHARI GAWALDA, TIJARA, खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	TAPKANIYA KI DHANI, NIVHARI GAWALDA, TIJARA, खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	PARSOON SAINI		पिता:ANANDI LAL SAINI	1. UMAIRAN,ALWAR,ALWAR,RAJ

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

हालात प्रकरण इस प्रकार से है कि दिनांक 28.11.2025 को समय करीब 12.10 पीएम पर परिवादी श्री मुबीन ने अपने मोबाईल नम्बर से जरिये वाट्सअप कॉल कर मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि साहब मै मुबीन पुत्र श्री हुरमत उम्र 40 साल जाति मेव निवासी ग्राम टपकनिया की ढाणी निवहरी ग्वालदा, तहसील तिजारा जिला खैरथल, तिजारा का रहने वाला हूं। मेरा वाहन डम्फर टाटा जिसके नम्बर आर0जे0 40 जीए 0354 है, को चौपानकी से पुलिस विभाग की टीम ने पकडकर वन विभाग की टीम को बुलवाकर जब्त करवाकर पुलिस थाना चौपानकी में मुकदमा दर्ज करवा दिया था। मैने मेरे डम्फर को छुडवाने के लिए माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एंव अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिवाडी जिला खैरथल तिजारा में प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा कार्यवाही करते हुये कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एंव सहायक वन संरक्षक अलवर से अधिग्रहण की रिपोर्ट चाही गई है। लेकिन उक्त कार्यालय द्वारा रिपोर्ट नही भेजी जा रही है और उस रिपोर्ट को न्यायालय में भिजवाने के लिए उस कार्यालय का बाबू जिसके नम्बर है वह मेरे से 35,000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है, और कहता है कि जब तक रिश्वत नही दोगे तब तक मै आपकी रिपोर्ट नही भेजूगां। परिवादी से हुई वार्ता अनुसार मामला रिश्वत के लेन देन का पाये जाने पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने जरिये वाट्सअप कॉल वार्ता के दौरान ही परिवादी को गोपनीय मांग सत्यापन की कार्यवाही के बारे में बताया गया तथा कार्यालय में उपस्थित होकर उक्त तथ्यों का प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए कहा गया तो परिवादी ने बताया कि साहब मै कम पढा लिखा हूं लिखना नही जानता हूं तथा मेरे द्वारा बताई गई सभी बाते सही है तथा मेरे को आपके कार्यालय में आने में समय लगेगा तथा कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एंव सहायक वन संरक्षक अलवर के बाबू ने मुझे अभी अपने कार्यालय में बुलाया है। मै वर्तमान में बस स्टेण्ड शिवाजी पार्क अलवर पर हूं। मांग सत्यापन के लिए जो आपका कर्मचारी मेरे पास शिवाजी पार्क स्टेण्ड अलवर आयेगा उसको मै उक्त तथ्यों का मेरा प्रार्थना पत्र कार्यवाही हेतु पेश कर दुगां। इस पर समय करीब 12.30 पीएम पर श्री राजबीर सिंह कानि0 से जरिये वाट्सअप कॉल वार्ता कर उसको परिवादी के मोबाईल नम्बर दिये जाकर गोपनीय मांग सत्यापन हेतु कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर मैक सोनी निकालकर उसमें नया एसडी कार्ड 32 जीबी डालकर वाईस रिकॉर्डर व एसडी कार्ड खाली होना सुनिष्चित करने व परिवादी के पास बस स्टेण्ड शिवाजी पार्क अलवर पहुंचकर परिवादी से कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त कर मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाने से पूर्व वाईस रिकॉर्डर परिवादी को चालू व बन्द करने की विधि समझाकर सुपुर्द करने के निर्देश दिये जाकर मांग सत्यापन हेतु बस स्टेण्ड शिवाजी पार्क अलवर के लिए रवाना किया गया। समय करीब 04.30 पीएम पर श्री राजवीर सिंह कानि0 ने अपने मोबाईल नम्बर से मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर पर जरिये वाट्स काल वार्ता कर बताया कि साहब मै आपके निर्देशानुसार परिवादी के पास बस स्टेण्ड शिवाजी पार्क अलवर पर पहुचा तो परिवादी श्री मुबीन मुझे उपस्थित मिला, जिससे मैने परिचय कर उससे कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र देने बाबत कहा तो उसने मुझे एक टाईप शुदा प्रार्थना पत्र पेश किया जो मैने अपने पास सुरक्षित रख लिया। इसके बाद मै और परिवादी वहा से रवाना होंकर मांग सत्यापन के लिए संदिग्ध आरोपी के कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एंव सहायक वन संरक्षक अलवर के नजदीक पहूंचे, जहां पर मैने परिवादी को वाईस रिकॉर्ड चालू व बन्द करने की विधि समक्षाकर वाईस रिकॉर्डर को चालूकर परिवादी को सुपुर्द कर उनके कार्यालय के लिए रवाना किया और मै उस कार्यालय के बाहर ही रूक गया। कुछ समय बाद परिवादी उस कार्यालय से बाहर आया और मुझे बताया कि संदिग्ध आरोपी बाबू ने मेरे से मेरी अधिग्रहण रिपोर्ट भिजवाने के लिए 35 हजार रूपये रिश्वत की मांग की, फिर मेरे द्वारा उनसे कम करवाने पर वह 30 हजार रूपये में सहमत होकर मेरे से मौके पर ही 20 हजार रूपये प्राप्त कर 10 हजार रूपये की और मांग कर मेरी अधिग्रहण रिपोर्ट मुझे देकर शेष राशी दो चार दिन में देकर जाने के लिए कहा है। मैने मेरी उनसे हुई सभी बातो को वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। इस पर परिवादी से वार्ता की तो कानि0 द्वारा बताई गई बाते बताई जाकर संदिग्ंध आरोपी द्वारा अपनी अधिग्रहण रिपोर्ट दे देना व आरोपी का नाम उस कार्यालय के कर्मचारीगण से पूछने पर श्री प्रसून सैनी बाबू होना बताया। इसके बाद परिवादी ने बताया कि मुझे आपके कार्यालय में जाकर घर आने में समय लगेगा। इस पर परिवादी को अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 02.12.2025 को समय 09.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने व कानि0 राजवीर सिंह को परिवादी से वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर उसको वही छोडकर कार्यालय में उपस्थित होकर परिवादी

द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व मांग सत्यापन वार्ता के वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखकर लॉक लगाने व मन उप अधीक्षक पुलिस के कार्यालय में उपस्थित होने पर पेश करने की मुनासिब हिदायत दी गई। इसके बाद समय करीब 08.30 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस के राजकार्य कर कार्यालय में उपस्थित होने पर श्री राजवीर सिंह कानि0 द्वारा परिवादी श्री मुबीन द्वारा कार्यवाही हेतु दिनांक 28.11.2025 को दिया गया प्रार्थना पत्र व मांग सत्यापन का वाईस रिकॉर्डर कार्यालय की आलमारी से निकालकर पेश किया। मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी द्वारा पेश टाईप शुदा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो प्रार्थना पत्र परिवादी द्वारा जरिये वाट्सअप कॉल कर बताये गये तथ्यों से सम्बन्धित होना पाया गया, जिसको बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात मांग सत्यापन के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को सरसरी तौर पर चालूकर सूना गया तो उसमें परिवादी व कानि0 राजवीर सिंह द्वारा जरिये वाट्सअप कॉल बताई गई बातो की ताईद होना व संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी से 35 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर, फिर परिवादी द्वारा उनसे कम करवाने पर 30 हजार रूपये में सहमत होकर मौके पर ही परिवादी से 20 हजार रूपये प्राप्त कर 10 हजार रूपये की और मांग कर दो चार दिन में देकर जाने के लिए कहना स्पष्ट रूप से पाया गया। वाईस रिकॉर्डर को वापिस कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा जाकर ताला लगाया गया। इसके बाद दिनांक 01.12.2025 को कार्यालय वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको ईकाई-प्रथम भिवाडी के नाम कार्यालय पत्र जारी कर श्री सतीश कुमार हैड कानि0 11 को देकर स्वतन्त्र गवाह हमराह लाने हेतु उक्त कार्यालय के लिए रवाना करने पर श्री सतीश कुमार हैड कानि0 उक्त कार्यालय से दो स्वतन्त्र गवाह कार्यवाही हेतु हमराह लेकर कार्यालय में उपस्थित आया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान को मन पुलिस उप अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुये उनसे उनका नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम बृजेश कुमार पिंगोलिया सहायक स्थल अभियन्ता व दूसरे ने अपना नाम हेमन्त कुमार जमादार कार्यालय वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको ईकाई-प्रथम भिवाडी होना बताया। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान से कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की स्वीकृति चाही तो दोनों ने अपनी स्वेच्छा से अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान को अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 02.12.2025 को समय 09.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने व गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 02.12.2025 को समय करीब 10.00 एएम पर पाबन्द शुदा परिवादी मुबीन कार्यालय में उपस्थित आया, जिससे मन उप अधीक्षक पुलिस ने पुनः परिचय किया तो अपना नाम मुबीन पुत्र श्री हुरमत उम्र 40 साल जाति मेव निवासी ग्राम टपकनिया की ढाणी निवहरी ग्वालदा, तहसील तिजारा जिला खैरथल, तिजारा होना तथा मांग सत्यापन के समय संदिग्ध आरोपी से हुई वार्ताओं के बारे में पुनः बताया जाकर उसी दिन अधिग्रहण रिपोर्ट दे देना बताया। तत्पश्चात परिवादी को संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशी 10,000 रूपये बाबत पूछा गया तो परिवादी ने अपने पास होना बताया गया। तत्पश्चात पाबन्द शुदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री बृजेश कुमार पिंगोलिया व श्री हेमन्त कुमार शर्मा कार्यालय में उपस्थित आये जिनका परिवादी श्री मुबीन से परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 28.11.2025 को पेश किये गये टाईप शुदा प्रार्थना पत्र को पढवाया गया। दोनों गवाहान ने परिवादी के प्रार्थना पत्र को पढकर उसमें अंकित तथ्यों के बारे में परिवादी से पूछताछ की तो परिवादी ने अपने मिलने वाले से टाईप करवाकर लाना तथा उसमें अंकित सभी तथ्य सही होना ताईद किया । दोनों स्वतन्त्र गवाहान ने परिवादी की बातों को सही मानकर उसके प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात परिवादी तथा संदिग्ध आरोपी श्री प्रसून सैनी बाबू के मध्य रिश्वत राशी मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता को परिवादी ने विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर में दिनांक 28.11.2025 को टेप किया गया था एंव जिसको दिनांक 28.11.2025 को चालूकर सुनकर वापिस बन्द कर सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय की आलमारी में रखकर ताला लगाया गया था। उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में आलमारी का ताला खोलकर बाहर निकाला गया व वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ता को दोनों गवाहान की मौजूदगी में सरसरी तौर पर चालूकर सुना गया तो संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी से उसके डम्फर की अधिग्रहण रिपोर्ट माननीय न्यायालय में भिजवाने के लिए 35 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर, फिर परिवादी द्वारा उनसे कम करवाने पर 30 हजार रूपये में सहमत होकर मौके पर ही परिवादी से 20 हजार रूपये प्राप्त कर 10 हजार रूपये की और मांग कर दो चार दिन में देकर जाने के लिए कहना स्पष्ट रूप से पाया गया। उक्त वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट व जब्ती पेनड्राईव समय अभाव के कारण नही बनाई जाकर वाईस रिकॉर्डर से एसडी कार्ड 16 जीबी को बाहर निकलवाकर अपने कब्जे में रखा गया। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री मुबीन को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशी पेश करने बाबत कहा गया तो परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000/-रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर पेश किये। जिनके नम्बरों की लिखापढी कर उक्त नोटों के नम्बर मेरे एंव गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटों के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। तत्पश्चात परिवादी द्वारा पेश शुदा नोटों पर श्रीमती मिनाक्षी शर्मा महिला कानि0 न0 62 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर कार्यालय की एक टेबिल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 10,000/- रूपये के नोटों को रखकर उन पर श्रीमती मिनाक्षी शर्मा महिला कानि0 62 से अच्छी तरह से फिनोफ्थैलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी की जामा तलाशी गवाह श्री हेमन्त कुमार से लिवाई गई तो उसके पास मोबाईल के अलावा अन्य कोई आपत्ति जनक वस्तु व सामान नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थैलीन पाउडर युक्त 10,000/-रूपये

के नोटो को श्रीमती मिनाक्षी शर्मा महिला कानि0 62 से परिवादी के पहने हुये ट्रक शूट के लोवर की बगल की बॉई जेब में रखवाये गये एंव परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटो को जब तक नही छुयेगा तब तक कि आरोपी रिश्वत की मांग नही करे तथा मांगने पर ही वह पाऊडर युक्त राशि उसे देवे, और ध्यान रखे की आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है। परिवादी को आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से काल/मिस कॉल देकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को रिश्वत देने का ईशारा करने बाबत बताया। इसके पश्चात दोनों स्वतंत्र गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का प्रयास करे। फिनोफ्थैलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाई गई। जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसको जलवाकर नष्ट करवाया गया। उसके पश्चात एक नये साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मगंवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त गिलास के घोल में श्रीमती मिनाक्षी शर्मा महिला कानि0 62 के दाहिने हाथ की अगुंलियों को डुबोकर धुलवाई जाकर परिवादी व गवाहान को सोडियम कार्बोनेट व फिनोफ्थैलीन पाउडर की प्रक्रिया के बारे में समझाया गया। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को कार्यालय से बाहर फिंकवाया गया एंव गिलास को जलवा कर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात पाऊडर लगाने वाले श्रीमती मिनाक्षी शर्मा महिला कानि0 62 के दोनो हाथो को साबुन एंव साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एंव टै्रप पार्टी के सदस्यां के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा टै्रप बाक्स में रखी खाली शीशीयां मय ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादी को छोडकर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो सभी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने दी गई, केवल विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल ही रहने दिये गये। परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर में नया 16 जीबी सेनडिस्क एसडी कार्ड डालकर वाईस रिकार्डर को परिवादी को ऑपरेट करने की विधि समझाकर सुपुर्द किया गया। तत्पश्चात समय करीब 11.30 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्टाफ सदस्य श्री राजबीर सिंह कानि0 व परिवादी श्री मुबीन व गवाह श्री हेमन्त कुमार के एक प्राईवेट वाहन से व स्टाफ सदस्य श्री झाबर सिंह हैड कानि0 27, श्री सतीश कुमार हैड कानि न0 11, श्री लल्लूराम कानि0, श्री शहरून कानि0, श्री निहाल कानि0 एंव स्वतन्त्र गवाह श्री बृजेश कुमार के सरकारी वाहन से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के एसीबी कार्यालय भिवाडी से संदिग्ध आरोपी के कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एंव सहायक वन संरक्षक अलवर के लिए रवाना हुआ तथा कार्यालय में श्री साहिब सिंह एएसआई व श्रीमती मिनाक्षी महिला कानि0 को मुनासिब हिदायत कर छोडा गया। समय करीब 12.19 पीएम पर भगत सिंह चौक खुशखेडा के पास परिवादी मुबीन के मोबाईल नम्बर पर संदिग्ध आरोपी प्रसून सैनी बाबू के मोबाईल नम्बर से वाट्सअप काल आया। जिसमें परिवादी ने वार्ता कर बताया कि संदिग्ध आरोपी बाबू ने मुझे कहा कि मै आज कार्यालय में नही हूं राजगढ गया हुआ हूं और कल भी नही रहुगां आप दिनांक 04.12.2025 को कार्यालय में आ जाना। इस पर परिवादी के बताये अनुसार संदिग्ध आरोपी अपने कार्यालय में नही होकर बाहर होने से आज दिनांक को कार्यवाही होना सम्भव नही होने पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय टीम के वहा से वापिस कार्यालय एसीबी भिवाडी के लिए रवाना होकर समय करीब 12.40 पीएम पर कार्यालय में उपस्थित आया। ट्रेप बाक्स को मालखाने में रखवाया गया। तत्पश्चात परिवादी से श्री सतीश कुमार हैड कानि0 के मार्फत फिनोफथैलीन पाऊडर युक्त रिश्वत राशी 10,000 रूपये एक खाकी लिफाफे में रखवाकर सुरक्षित मालखाने में रखवाई गई। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री बृजेश कुमार पिंगोलिया व श्री हेमन्त कुमार जमादार के समक्ष परिवादी तथा संदिग्ध आरोपी प्रसून सैनी बाबू कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एंव सहायक वन संरक्षक अलवर के मध्य रिश्वत राशी मांग सत्यापन के समय दिनांक 28.11.2025 को हुई वार्ता को परिवादी ने विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर में लगे एसडी कार्ड में टेप किया गया था एंव जिसको सुनकर समय अभाव के कारण ट्रान्सक्रिप्ट बाद में बनाने का निर्णय लिया जाकर वाईस रिकॉर्डर में लगे ममोरी कार्ड को वाईस रिकॉर्डर से बाहर निकालकर अपने कब्जे में रखा गया था उक्त ममोरी कार्ड 16 जीबी सेनडिस्क को अपने कब्जे से बाहर निकाला जाकर दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में एसडी कार्ड को कार्यालय के लैपटाप में लगाकर टेबिल स्पीकर की सहायता से सुना गया और परिवादी से सदिंग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत मांग के सम्बन्ध में की गई वार्ताओं की शब्द-ब- शब्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री मुबीन द्वारा अपनी आवाज व संदिग्ध आरोपी प्रसून सैनी बाबू कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एंव सहायक वन संरक्षक अलवर की आवाज की पहचान की गई। फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपातंरण श्री राजवीर सिंह कानि0 से टकंण करवाया गया। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात वार्ता का पैन ड्राईव बनवाने हेतु तीन खाली पैन ड्राईव मंगवायी जाकर तीनों पैन ड्राईव SANDISK ULTRA 16GB खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर मे डले 16 जीबी मैमोरी कार्ड से लैपटॉप की सहायता से मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री राजबीर सिंह कानि0 से बारी-बारी से तीन पैन ड्राईव तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर पैन ड्राईव व एसडी कार्ड की हैश वैल्यू लेपटॉप मे एफटी के इमैजर की सहायता से श्री राजबीर सिंह कानि0 से निकलवाई जाकर उक्त हैश वैल्यू का प्रिटं लिया जाकर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली

किया गया। इसके बाद तीनों पैनड्राईव को अलग-2 प्लास्टिक के कवर में रखवाकर प्लास्टिक के कवर सहित प्लास्टिक की छोटी डिब्बी में रखवाकर पैन ड्राईव को प्लास्टिक की डिब्बी सहित पृथक पृथक कपडे की थैलियों में रखकर थैलियों पर मार्का A-1, A-2 व A-3 अंकित किया जाकर मार्क A-1, A-2 को सील्ड मोहर कर गवाहान एवं परिवादी तथा सबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा तीसरे पैन ड्राईव की कपड़े की थैली मार्क A-3 को अनुसंधान हेतु पत्रावली पर अनशील्ड रखा गया। इसके बाद एसडी कार्ड 16 जीबी को एक प्लास्टिक की डिब्बी मे रखकर डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर थैली को सील मोहर कर मार्क SD अंकित कर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एंव जब्ती पैनड्राईव व एसडी कार्ड 16 जीबी रिश्वती राशि मांग सत्यापन पृथक से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय करीब 03.15. पीएम पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री बृजेश कुमार पिंगोलिया व श्री हेमन्त कुमार जमादार तथा परिवादी श्री मुबीन को ट्रेप कार्यवाही सम्भव नही होने पर गोपनीयता बनाये रखने एंव अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 04.12.2025 को समय 08.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। तत्पश्चात दिनांक 04.12.2025 को मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री मुबीन से अपने मोबाईल नम्बर से परिवादी के मोबाईल नम्बर पर जरिये वाट्सअप काल वार्ता की एंव कार्यालय में उपस्थित होने बाबत कहा तो परिवादी ने बताया कि साहब मैने मेरे मोबाईल से श्री प्रसून सैनी बाबू के मोबाईल पर उनके कहे अनुसार वाट्सअप कॉल कर उनकी उपस्थिति जानने व उनको आने के लिए पूछा तो उन्होने मुझे कहा कि मै आज कार्यालय में नही हूं बाहर हूं पता नही हमें कितने दिन लगे। मै जब भी कार्यालय में आऊंगा आपको कॉल कर लुगां आप तब आ जाना। इसलिए मै आज आपके कार्यालय में नही आया और इस बारे में मै आपको बताने वाला ही था कि आपका कॉल आ गया। इस पर परिवादी को हिदायत दी गई कि जब भी आपके पास संदिग्ध आरोपी का कॉल आये तो मुझे अवगत करवाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय में उपस्थित होवे। इसके बाद परिवादी से हुई वार्ता अनुसार दोनों गवाहान को उनके मोबाईल नम्बर पर वाट्सअप कॉल कर आज कार्यालय में उपस्थित नही होने तथा अपना मोबाईल चालू रखने एंव कार्यवाही हेतु जब भी कॉल कर बुलाने पर तुरन्त उपस्थित होने हेतु कहा गया। इसके बाद दिनांक 17.12.2025 व दिनांक 15.01.2026 को मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपने मोबाईल से परिवादी के मोबाईल पर जरिये वाट्सअप काल कर वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि साहब मेरे पास अभी तक श्री प्रसून सैनी बाबू का कॉल नही आया है, और मै भी अपने कार्य से अपनी गाडी के साथ बाहर गया हुआ हूं। जब भी मेरे पास श्री प्रसून सैनी बाबू का कॉल आयेगा मै कार्यवाही हेतु आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाऊंगा। इसके बाद दिनांक 05.02.2026 को समय करीब 12.30 पीएम पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री मुबीन कार्यालय में उपस्थित आया और बताया कि साहब मेरे को दिनांक 04.12.2025 को श्री प्रसून सैनी बाबू ने कहा था कि आज मै कार्यालय में उपस्थित नही हूं, आप मत आना जब भी मै कार्यालय में उपस्थित रहुंगा आपको कॉल कर बुला लुगां जब आप आ जाना, लेकिन उसके बाद उसने मुझे काफी दिन तक कॉल नही किया। इसके बाद मैने माननीय न्यायालय से मेरी गाडी को छुडा लिया था और अपनी गाडी पर कार्य से बाहर चला गया था। लेकिन श्री प्रसून सैनी बाबू का दिनांक 04.12.2025 के बाद आज दिनांक तक मेरे पास रिश्वत राशी लेने के लिए कॉल नही आया और उस कार्यालय से मेरा कार्य भी हो गया है तथा वह अब मेरे से रिश्वत की मांग भी नही कर रहा है और मै अपने कार्य में व्यस्त रहता हूं इसलिए मै अब आगे की कार्यवाही नही करवाना चाहता हूं। आप मुझे मेरे द्वारा आपको पेश की गई रिश्वत राशी 10,000 रूपये वापिस लोटावे। परिवादी की बातों को सही मानते हुये परिवादी को अग्रीम कार्यवाही हेतु कार्यालय में बैठाया गया। तत्पश्चात समय करीब 01.00 पीएम पर पाबन्द शुदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान सर्व श्री बृजेश कुमार पिंगोलिया व श्री हेमन्त कुमार जमादार कार्यालय वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको ईकाई-प्रथम भिवाडी को जरिये दूरभाष सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही हेतु शीघ्र ही कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द करने पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान कार्यालय में उपस्थित आये, जिनको मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी द्वारा बताई गई बातो से अवगत करवाया गया। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान ने परिवादी से पूछताछ की गई तो परिवादी ने दोनों स्वतन्त्र गवाहान को मन उप अधीक्षक पुलिस को बताई गई बातें ही बताई गई। इसके बाद परिवादी श्री मुबीन के बताये अनुसार संदिग्ध आरोपी श्री प्रसून सैनी बाबू द्वारा दिनांक 28.11.2025 के गोपनीय मांग सत्यापन के बाद उनके द्वारा शेष रिश्वत राशी बाबत परिवादी को कॉल नही करना और परिवादी का कार्य भी हो जाने पर तथा परिवादी द्वारा अग्रिम कार्यवाही नही करवाकर अपने द्वारा पेश की गई रिश्वत राशी वापिस लोटाने बाबत कहने पर परिवादी की बातो को सही मानते हुये परिवादी द्वारा कार्यवाही हेतु पेश की गई रिश्वत राशी नम्बरी 10,000 रूपये जो दिनांक 02.12.2025 को संदिग्ध आरोपी के अपने कार्यालय में नही होने पर कार्यालय में उपस्थित होने पर श्री सतीश कुमार हैड कानि0 के मार्फत एक खाकी लिफाफे में रखवाकर सुरक्षित मालखाने में रखवाई गई थी को श्री सतीश कुमार हैड कानि0 से कार्यालय के मालखाने से बाहर निकलवाकर उक्त रिश्वत राशी को खाकी लिफाफे से बाहर निकलवाकर अच्छी तरह से साफ करवाकर परिवादी को वापिस लोटाई जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई। तत्पश्चात समय करीब 03.00 पीएम पर बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी श्री मुबीन व दोनों स्वतन्त्र गवाहान सर्व श्री बृजेष कुमार पिंगोलिया सहायक स्थल अभियन्ता व श्री हेमन्त कुमार जमादार कार्यालय वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको ईकाई-प्रथम भिवाडी को रवाना किया गया। सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से

आरोपी श्री प्रसून सैनी पुत्र स्व0 श्री आनन्दी लाल सैनी, उम्र 37 साल निवासी ग्राम उमैरण, तहसील व जिला अलवर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक अलवर एक लोक सेवक होते हुए अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने की एवज में भ्रष्ट आचरण रखते हुये परिवादी श्री मुबीन पुत्र श्री हुरमत उम्र 40 साल जाति मेव निवासी ग्राम टपकनिया की ढाणी निवहरी ग्वालदा, तहसील तिजारा जिला खैरथल, तिजारा से उसके वाहन डम्फर टाटा नम्बर आर0जे0 40 जीए 0354 को चौपानकी से पुलिस विभाग की टीम ने पकडकर वन विभाग की टीम को बुलवाकर जब्त करवाकर पुलिस थाना चौपानकी में मुकदमा दर्ज करवाने पर परिवादी द्वारा उक्त डम्फर को माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एंव अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिवाडी जिला खैरथल तिजारा से छुडवाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश करने पर माननीय न्यायालय द्वारा कार्यवाही करते हुये कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एंव सहायक वन संरक्षक अलवर से चाही गई अधिग्रहण की रिपोर्ट को भिजवाने के लिए रिश्वत राशी मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 28.11.2025 को आरोपी द्वारा परिवादी से 35 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर परिवादी द्वारा कम करवाने पर 30 हजार रूपये में सहमत होकर मौके पर ही परिवादी से 20 हजार रूपये प्राप्त कर अधिग्रहण रिपोर्ट देकर 10 हजार रूपये की और मांग कर दो चार दिन में देकर जाने के लिए कहना स्पष्ट रूप से पाया गया। आरोपी का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018)में प्रथम दृष्टया बखूबी प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित है। (परमेश्वर लाल) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,भिवाडी..........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री परमेश्वर लाल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाडी ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री प्रसून सैनी पुत्र स्व0 श्री आनन्दी लाल सैनी, उम्र 37 साल निवासी ग्राम उमैरण, तहसील व जिला अलवर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक अलवर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री साबीर खान, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 106 पर अंकित है। (पीयूष दीक्षित) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 592-95 दिनांक 01.04.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर 2- उप वन संरक्षक, अलवर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाडी । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SABBIR KHAN **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Piyush Dixit
Location: Rajasthan,IN
Date: 01/04/2026 14:50:36

Name(नाम): PIYUSH DIXIT

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1989				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)